



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस लेकर घूम रहे अन्तर्जनपदीय शांति अभियुक्त को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद।
- ❖ अभियुक्त हृदेश उर्फ ब्रजेश पर पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एससी एसटी एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में दर्ज है मुकदमे।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध तमंचा लेकर घूम रहे एक शांति अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 17.09.2026 को थाना मटौंध पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध असलहा लेकर इचौली रोड पर गैस एजेंसी के पास घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर रोक लिया गया। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से अवैध तमंचा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मटौंध पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हृदेश उर्फ ब्रजेश एक शांति किस्म का अपराधी है, जिसपर पूर्व में पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, मार-पीट, एससी एसटी एक्ट सहित आधा दर्जन मामले दर्ज है।

बरामदगी-

- ✓ अवैध तमंचा 315 बोरे
- ✓ जिंदा कारतूस 315 बोरे

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हृदेश उर्फ ब्रजेश पुत्र मलखान निवासी वाधवा खोड़ा थाना कबरई जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 167/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हृदेश उर्फ ब्रजेश -

1. मु0अ0सं0- 112/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा।
2. मु0अ0सं0- 167/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 181/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 182/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0- 01/26 धारा 2(B)(I)3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0- 167/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 16/22 धारा 323/504 भादवि 3(1)घ,3(1)ध,3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र०नि मटौध श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ०नि० श्री मणिशंकर मिश्र
3. का० पुष्पेन्द्र कुमार